## न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 06 / 2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. योगेश माता श्रीमती कस्तूरी बाई पुत्र रूपलाल जी, जाति गाडरी, निवासी आदर्श नगर, खेमपुरा, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कैलाश माता कस्तूरी बाई पत्नी कन्हैयालाल, जाति गाडरी, निवासी नीमचमाता स्कीम, देवाली, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सीमा माता कस्तूरी बाई पुत्री रूपलाल जी, जाति गाडरी, निवासी आदर्श नगर, खेमपुरा, उदयपुर (राज.)

............ अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती केसी बाई पुत्री नाथू जी, जाति गाडरी, निवासी नेगडिया, हाल खेमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. लालू पिता नाथू जी, जाति गाडरी (मृतक) के बजाय :–

   श्रीमती पकिया पुत्री लालू जी गाडरी, निवासी नेगडिया, देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, देलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती लीला माता कस्तूरी बाई पुत्री रूपलाल जी पत्नी कजोड जी गाडरी, निवासी लोडावास (थामला), तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दि. 21.03.2023 प्रकरण संख्या 49 / 2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री सुरेशचन्द्र द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

———::———

निर्णय दिनांक 17–05–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नेगडिया, तहसील नाथद्वारा में वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 1162, 1247, 1249, 1250, 1254, 1255 कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 1184 व 1186 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा एवं परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 1187 व 1189 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:08 IST
Reason: SelfAttested

किता 2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई बहन होकर नाथू जी के पुत्र एवं पुत्री हैं। नाथू पिता देवा जी का सन् 1988 में निर्वसियती देहावसान हो चुका है, जिससे नाथू जी की सम्पत्ति पर उसके पुत्र लालू व पुत्री केसीबाई को बराबर–बराबर हक अधिकार विरासत से प्राप्त है एवं इसी अनुसार संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है, किन्तु नाथू जी के निधन पर प्रतिवादी संख्या 1 लालू ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर भूमियां अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा अन्य सहखातेदारों से मिलकर सहमति से आपसी विभाजन भी करवा लिया है तथा भूमि विक्रय करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः वादिया को वाद पत्र के परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 1247, 1249, 1250, 1254, 1255 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में 7/32 हिस्से का एवं परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 1189 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 21–03–2023 को वादिया का वाद स्वीकार कर खाता संख्या 286 की आराजी नंबर 1247, 1249, 1250, 1254, 1255 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में 7/32 हिस्से का एवं खाता संख्या 280 की आराजी नंबर 1189 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–02–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्टगण की ओर से धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की माता कस्तूरी बाई नाथू जी की पुत्री है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उन्हें जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 स्वयं ने राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्टगण को नाथू जी का वारिसान होने का कथन किया है। अतः अपीलान्टगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्व में जानकारी होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपील मीमों की कलम संख्या 2 अनुसार पक्षकारान का सजरा होकर अपीलान्टगण नाथू जी की पुत्री कस्तुरीबाई के वारिस है, जिससे नाथू जी की आराजियात में उनका भी 1/3 हक हिस्सा जन्म से निहित है, किन्तु वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उन्हें पक्षकार बनाये बिना केवल मात्र नाथू जी की एक पुत्री बताकर 1/2 हिस्से की डिक्री प्राप्त कर ली, जबकि कस्तूरीबाई भी नाथू की पुत्री होने से नाथू के पुत्र लालू व पुत्री केसीबाई के समान उसका भी विवादित आराजियात में समान हक हिस्सा है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलान्टगण को विवादित आराजियात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट नाथू जी की संतान हैं, जिसमें अपीलान्ट कस्तूरी बाई के वारिस हैं, लालू की वारिस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 है तथा अपीलान्टगण का विवादित आराजियात में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के समान हक अधिकार निहित है। अतः राजीनामे अनुसार अपील स्वीकार फरमायी जावे।

हमने उक्त राजीनामें का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। स्वयं की रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने मौजा नेगडिया की आराजी नंबर 1162, 1247, 1/2 1250, 1254, 1255, 1185,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:08 IST
Reason: SelfAttested

1186, 1187, 1189 के संबंध में वाद प्रस्तुत कर उसमें नाथू के पुत्र लालू के समान अपना भी हिस्सा होने का कथन किया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 1247, 1249, 1250, 1254, 1255 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में 7/32 हिस्से का एवं परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 1189 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, किन्तु अब वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. में यह स्वीकार किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट नाथू जी की संतान हैं तथा नाथू जी का एक लड़का लालू व दो पुत्रियां केशी बाई व कस्तूरी बाई हुई। अपीलान्टगण कस्तूरी बाई के वारिस हैं तथा लालू की वारिस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती पकिया है। वादग्रस्त आराजियात में अपीलान्टगण का भी समान हक हिस्सा है। अतः अपीलान्टगण को उक्त आराजियात में उसके हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तो रेस्पोन्डेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है। तद्नुसार वादिया/रेस्पोन्डेन्ट की स्वीकारोक्ति अनुसार अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 21–03–2023 अपास्त की जाती है खाता संख्या 286 की आराजी नंबर 1247, 1249, 1250, 1254, 1255 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 श्रीमती लीला को संयुक्त रूप से 7/48 हिस्से का, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती केसी बाई को 7/48 हिस्सा का तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती पकिया को 7/48 हिस्सा का एवं खाता संख्या 280 की आराजी नंबर 1189 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 श्रीमती लीला को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती केसी बाई को 1/3 हिस्सा का तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती पकिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:08 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.......**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ..............................**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....................................

**योगेश माता कस्तूरीबाई पुत्र रूपलाल गायरी, निवासी आदर्शनगर, खेमपुरा, उदयपुर व अन्य** बनाम **श्रीमती केसीबाई पुत्री नाथू जी गायरी, निवासी नेगडिया हाल खेमपुरा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.......**06/2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... .....**नाथद्वारा**........... मुकाम................मुवर्खे.............**21**.............माह..............**03**...........**2023**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**17**....माह........**05**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सुरेशचन्द्र द्विवेदी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ओंकारलाल डांगी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 21-03-2023 अपास्त की जाती है खाता संख्या 286 की आराजी नंबर 1247, 1249, 1250, 1254, 1255 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 श्रीमती लीला को संयुक्त रूप से 7/48 हिस्से का, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती केसी बाई को 7/48 हिस्सा का तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती पकिया को 7/48 हिस्सा का एवं खाता संख्या 280 की आराजी नंबर 1189 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 श्रीमती लीला को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती केसी बाई को 1/3 हिस्सा का तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमती पकिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ..................................अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**17**.......माह.......**05**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .........<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .......<br>4. वकील फीस बाबत ......... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ...............<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.......... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:08 IST
Reason: SelfAttested